Manipur	0.41
Mizoram	0.05
Orissa	9.60
Punjab	0.29
Rajasthan	2.00
Tamil Nadu	50.37
Tripura	0.46
Uttar Pradesh	28.00
West Bengal	30.00
Pondicherry	1.07
TOTAL :	172.80

'रगमार्क' लेबल वाले कालीनों का निर्यात

7897. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने जर्मनी सरकार की पहल पर बाल-श्रमिकों के बिना निर्मित कालीनों पर 'रगमार्क' का लेबल लगाकर उनका निर्यात करना आरंभ कर दिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी0 वेंकट स्वामी) : जी, नहीं । सरकार ने 'रगमार्क' लेबल लगाकर बाल श्रम के बिना विनिर्मित कालीनों का निर्यात प्रारम्भ नहीं किया है। तथापि, 'रगमार्क' संस्था, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक निजी निकाय है, ने 'रगमार्क' लेबल जारी करना प्रारम्भ कर दिया है ।

सूती धागे का निर्यात

7898. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों के दौरान सूती धागे के निर्यात पर लगे कतिपय प्रतिबंधों को हटा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन प्रतिबंधों को हटा लिए जाने के बाद सूती धागे के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले छह महीनों की तुलना में प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अगले छह महीनों की अवधि में सूती धागे की कितनी अधिक मात्रा का निर्यात किया जा सका ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में वस्त्र मिलों तथा विद्युतकरघों की सूती धागे संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सूती धागे के निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) जी नहीं । सरकार ने वस्तुतः वर्ष 1995 के लिए सूती यार्न के निर्यात की उच्चतम सीमा को कम करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1994 के दौरान रिलीज किए गए सभी काउंटों के लिए 130 मि० किग्रा की अन्तिम उच्चतम सीमा की तुलना में वर्ष 1995 के लिए उच्चतम सीमा को कम करके 75 मि० किग्रा कर दिया गया है । तथापि, 75 मि० किग्रा की कम की गई उच्चतम सीमा केवल 1-40 काउंट ग्रुप के सूती यार्न के निर्यात पर ही लागू होगी । इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि 75 मि0 किग्रा की उच्चतम सीमा में से 23 मि० किग्रा की मात्रा कोटा देशों को निर्यात के लिए अलग से रखी जाएगी तथा 52 मि० किग्रा की अधिशेष उच्चतम सीमा की मात्रा को, 26 मि० किग्रा की प्रत्येक किस्त में वर्ष में दो बार दो किस्तों में वितरित किया जाएगा । यह उपाय अन्य बातों के साथ-साथ विशेष-कर विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए सूती यार्न की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए गए हैं ।

1-1-95 से 24-4-95 तक की अवधि के दौरान सूती यार्न के निर्यात 71.89 मि० किग्रा (लगभग) हुए जबकि इसकी तुलना में जनवरी-अप्रैल, 94 की अवधि के दौरान इसके निर्यात 13.72 मि० किग्रा हुए थे ।